संख्याः 1165 / XVII-2 / 19–01(04) / 2019

प्रेषक,

एल॰फैनई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून, दिनाँकः 05 नवम्बर अक्टूबर, 2019

विषयः–पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप शासनादेश में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–273 / स॰क॰ / दश॰छा॰ एवं पू॰दश॰छा॰ / 2019–2020 दिनांक 07 मई, 2019 तथा पत्र संख्या–1887 / स॰क॰ / दश॰छा॰ एवं पू॰दश॰छा॰ / 2019–2020 दिनांक 30 अगस्त, 2019 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–787 / XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या–1162/XVII(1)-3/2005-सी.एम.–(05)/2005 दिनांक 3 सितम्बर 2005 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

योजना का नाम	वर्तमान में निहित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	शासनादेश संख्या, 787 / XVII–4 / 2017–01(82) / 2014 दिनांक 01.01. 2018 के बिन्दु सं0– 16 में पंक्ति –04 में निम्न प्राविधान है – "अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम् (कक्षा 01 से 10) हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र–छात्राओं के माता– पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 44,500 / – निर्धारित है।'	"अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम् (कक्षा 01 से 10) हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आने वाले छात्र–छात्राओं के माता–पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2,50,000 / – निर्धारित की जाती है जो वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्रभावी होगी।"
	शासनादेश संख्या 787 / XVII–4 / 2017–01(82) / 2014 दिनांक 01.01. 2018 के बिन्दु सं0– 17 में प्राविधान है– "अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एक विद्यालय में कक्षा 03, 04 एवं 05 में प्रति कक्षा केवल एक–एक छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार कक्षा 06 में दो एवं	"अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल में पंजीकृत कक्षा 03 से 10 तक के हॉस्टलर एवं 01 से 10 तक के डे–स्कॉलर छात्र–छात्राओं को उक्त योजनान्तर्गत केन्द्रांश के बराबर धनराशि ही राज्यांश के रूप में व्यय / भुगतान की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कुल धनराशि की सीमान्तर्गत ही छात्रों को लाभ प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा जनपदवार छात्र / छात्राओं की संख्या का

	कक्षा 07 एवं 08 में तीन–तीन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना कक्षा 03 से 08 तक 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित है। अतः पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्र– छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम मे किया जायेगा।"	निर्धारण करते हुये राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल में पंजीकृत छात्रों को पात्रता के अनुरूप छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुये अवरोही क्रम में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना में छात्रवृत्ति भुगतान से अवशेष रहे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का अवशेष (ऐरियर) का भुगतान आगामी वर्षों में नहीं किया जायेगा। छात्रवृत्ति भुगतान की यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रभावी होगी।"
	शासनादेश संख्या–1162/XVII(1)-3/2005-सी.एम.–(05)/2005 दिनांक 3 सितम्बर 2005 में छात्रवृत्ति दरों का पुर्नरीक्षण निम्नानुसार किया गया है– " कक्षा 1 से 5 तक रू0 50/– प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 में रू0 80/–प्रतिमाह है तथा कक्षा 9 से 10 में रू0 100/– प्रतिमाह ।"	"अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 03 से 10 तक के सभी हॉस्टलर छात्र–छात्राओं रू0 500/– प्रतिमाह एवं कक्षा 01 से 10 तक के सभी डे–स्कॉलर छात्र–छात्राओं को रू0 100/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति 10 माह के लिए प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त समस्त छात्र–छात्राओं (हॉस्टलर व डे–स्कॉलर) को रू0 500/–प्रतिवर्ष तदर्थ अनुदान देय होगा, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रभावी होगी।"
अन्य पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	शासनादेश संख्या 787/XVII–4/2017–01(82)/2014 दिनांक 01.01.2018 के बिन्दु सं0– 14 में पंक्ति–2 में प्राविधान है– "अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा रू0 1.00 लाख निर्धारित है।"	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा रू0 1.50 लाख वार्षिक निर्धारित की जाती है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्रभावी होगी। उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय एलोकेशन की सीमान्तर्गत ही धनराशि का व्यय करते हुये पात्र छात्रों को लाभ दिया जायेगा। राज्यांश के रूप में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

2– राज्य सरकार द्वारा फंडिग पैट्रन के अनुरूप ही व्यय भार वहन किया जायेगा। इससे इतर कोई व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा। फंडिग पैट्रन की सीमान्तर्गत ही छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा॰प॰सं॰–127(म॰)/XXVII(3)/2019 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

4– शासनादेश संख्या–1162/XVII(1)–3/2005–सी॰एम॰–(05)/2005 दिनांक 03 सितम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या–787/XVII–4/2017–01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(एल॰फैनई)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः— /XVII—2/19—01(04) 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री को मा0 समाज कल्याण मंत्री जी के संज्ञानार्थ
3. महालेखाकार, कौलागढ़, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. महानिदेशक, विद्यालीय शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. निदेशक, उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
10. समस्तजिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
11. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
12. नोडल अधिकारी, समाज कल्याण, आई0टी0सेल, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।